



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 16698 वर्ष 2025

धर्मेन्द्र दहिया, निरीक्षक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अति प्रिया गौतम, शुभम त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

सिविल विविध वापसी आवेदन संख्या - 04 वर्ष 2026 पर आदेश

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14 (1) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या-6 द्वारा निर्गत विभागीय आरोप-पत्र दिनांक 11/07/2025 के अनुपालन में प्रारंभ की गई है, को निरस्त करने हेतु रिट याचिका को वापस लेने का निवेदन किया गया।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

वापसी आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश

उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका को नवीन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया मानते हुए निरस्त किया जाता है।

16 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।